

परियोजना निदेशक लखनऊ के पत्र संख्या: एन0एच0आई0/पी0आई0यू0-एल0के0ओ0/2015/302 दिनांक: 15.05.2015 एवं दिनांक 18.08.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013" के नियम 30 (2) एवं (3) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में दर का निर्धारण।

परिशिष्ट-3

ग्राम-रंकेडीह, परगना-मीरानपुर, तहसील-सदर जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	(अर्जित भूमि का) दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर कालम(1X2)	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		योग (3+4+5)	फैक्टर	भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 19.07.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 07.03.2015 कुल 965 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर (कालम-6 पर	योग कालम(4+5+7)	प्रतिफल 100% कालम (09 का)	सम्पूर्ण योग कालम(8+9+10का)	पूर्व घोषित अभिनिर्णय के आधार पर प्राप्त धनराशि	वांछित अवशेष धनराशि
			बृक्ष	भवन आदि								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0.6115	1,00,00,000.00	61,15,000.00	1,23,000.00	6,92,294.00	69,30,294.00	61,15,000.00X2 =1,22,30,000.00	21,98,707.00	1,30,45,294.00	1,30,45,294.00	2,82,89,295.00	76,23,323.00	2,06,65,972.00
0.3979	80,00,000.00	31,83,200.00	1,700.00	—	31,84,900.00	31,83,200.00X2 =63,66,400.00	10,10,442.00	63,68,100.00	63,68,100.00	1,37,46,642.00	35,03,390.00	1,02,43,252.00
0.1140	35,00,000.00	3,99,000.00	—	—	3,99,000.00	3,99,000.00X2 =7,98,000.00	1,26,587.00	7,98,000.00	7,98,000.00	17,22,587.00	4,38,900.00	12,83,687.00
1.1234	—	96,97,200.00	1,24,700.00	6,92,294.00	1,05,14,194.00	1,93,94,400.00	33,35,736.00	2,02,11,394.00	2,02,11,394.00	4,37,58,524.00	1,15,65,613.00	3,21,92,911.00
सम्पूर्ण योग=रु0 तीन करोड, इक्कीस लाख, बान्बे हजार, नौ सौ ग्यारह मात्र।												

अध्याप्ति व्यय=32,19,291.00

(रामचन्द्र सरोज)

अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी, सुलतानपुर।